भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1592**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

झींगा खेपों का निर्यात

1592. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधिः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए), यूरोपीय संघ और जापान सहित प्रमुख आयातक देशों द्वारा वर्ष 2018- 2026 के दौरान भारत से निर्यात की गई झींगा खेपों को अस्वीकृत किया गया, रोका गया या वापस लौटाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी खेपों की मात्रा और मूल्य कितना है तथा अस्वीकृत किए जाने, रोके जाने या वापस लौटाए जाने के वर्ष-वार और राज्य-वार कारण क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारत में वापस लौटाई गई उन खेपों की वर्ष-वार मात्रा कितनी है, जिन्हें नष्ट कर दिया गया, पुन: निर्यात किया गया, पुनः प्रसंस्कृत किया गया या अन्यथा निपटान किया गया;

(घ) क्या वापस लौटाई गई किन्हीं खेपों को घरेलू बाजार में बिक्री के लिए अनुमति दी गई थी और यदि हाँ, तो इसकी मात्रा और इसके लिए दी गई मंजूरियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अस्वीकृतियों के कारण निर्यातकों और झींगा पालकों को अनुमानित रूप से कितना नुकसान हुआ है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति, बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण तथा स्वच्छतापूर्ण हैण्डलिंग का अभाव के कारण अन्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और खराब समय-तापमान नियंत्रण आदि सहित अनेक कारणों से कुछ खेपों को अस्वीकृत किया गया। वर्ष 2018-2026* के दौरान भारत से निर्यातित झींगा की कुल खेपों की कुल संख्या की तुलना में अस्वीकृत खेपों का औसत प्रतिशत 0.13 प्रतिशत रहा। भारत से निर्यात किए गए झींगा खेपों का विवरण, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), यूरोपीय संघ (ईयू) और जापान जैसे प्रमुख आयातक देशों द्वारा वर्ष 2018-2026 की अवधि के दौरान अस्वीकार कर दिया गया था, **अनुलग्नक I** में

दिया गया है। अस्वीकृत खेपों की कुल संख्या के साथ-साथ अस्वीकृत कंटेनरों के अनुमानित मूल्य का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ग) एवं (घ) एंटीबायोटिक अवशेषों के अलावा अन्य मापदंडों के आधार पर अस्वीकृत खेपों को निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) द्वारा अपनी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से पुनः प्रसंस्कृत और पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जाती है जो पुन: निर्यात की अनुमति प्रदान करती है यदि खाद्य सुरक्षा मापदंड राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप पाए जाते है। स्थानीय बिक्री की अनुमति भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में आवश्यक परीक्षण किए जाने के बाद (एफएसएसएआई) प्राप्त की जाती है।

(ड.) एंटीबायोटिक अवशेषों के कारण अस्वीकृति से हुए वार्षिक अनुमानित वित्तीय हानि का विवरण **अनुलग्नक** II में दिया गया है।

I.एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध संबंधी नीतिगत सुधार: सरकार ने वर्ष 2025 में मत्स्य पालन उत्पादों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने के लिए विभिन्न विनियमों को अधिसूचित किया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. दिनांक 12.03.2025 के का.आ.1158 (अ) द्वारा भारत में किसी भी खाद्य उत्पादन पशुपालन प्रणाली में उपयोग के लिए क्लोरम्फेनिकोल और नाइट्रोफ्यूरान के आयात, विनिर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाना।

ii. का. आ. 729 (अ) में संशोधन करके दिनांक 01.05.2025 के का.आ. 1981 (अ) द्वारा झींगा, प्रॉन, मछली और मत्स्य उत्पादों से संबंधित जलीय कृषि क्रियाकलापों के किसी भी चरण में 37 एंटी-माइक्रोबियल्स (मानव उपयोग के लिए आरक्षित) के उपयोग पर रोक लगाना।

iii. दिनांक 23.09.2025 के का.आ. 4338 (अ) द्वारा पशु चिकित्सा उपयोग के लिए 34 सूचीबद्ध एंटी-माइक्रोबियल्स औषधीय उत्पादों के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाना।

II. झींगा पालकों और प्रसंस्करण श्रमिकों का क्षमता निर्माण करना, जिसमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति जागरूकता, सर्वोत्तम मत्स्यपालन पद्धतियों (बीएपी) का प्रशिक्षण, स्वच्छता प्रशिक्षण और एचएसीसीपी (जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु) का प्रशिक्षण शामिल है।

III. डीलरों के पंजीकरण की सूचना जारी करना ताकि उन्हें नियामक व्यवस्था के अंतर्गत लाया जा सके:

IV. निर्यात के लिए अवशिष्टों और एंटीबायोटिक-अवशेषों से मुक्त जलीय झींगा उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम और प्री-हारवेस्ट परीक्षण का कार्यान्वयन करना।

V. मत्स्य पालन और जलीय कृषि आदि में ट्रेसिबिलिटी सिस्टम के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करना।

VI. मत्स्यपालन फार्मों और हैचरी के लिए "एक्वा ट्रेस" नामक एक राष्ट्रव्यापी ऐप आधारित नामांकन तंत्र का कार्यान्वयन करना, जिसका उद्देश्य एक मजबूत ट्रेसिबिलिटी प्रणाली की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं सततता मानको के अनुपालन को मजबूत करना है।

दिनांक 28.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अनुलग्नक-।

वर्ष 2018-2026* के दौरान अस्वीकृत झींगा खेपों की कुल संख्या

बाज़ार	**यूरोपीय संघ**	**यूएसए**	**जापान**
वर्ष	**अस्वीकृति की संख्या**	**अस्वीकृति की संख्या**	**अस्वीकृति की संख्या**
2018	20	45	5
2019	5	27	5
2020	5	62	5
2021	9	43	5
2022	6	25	10
2023	9	37	10
2024	10	33	3
2025	15	32	4
2026*	7	9	1

*दिनांक 15/07/26 की स्थिति के अनुसार

(स्रोत: एम्पीडा)

दिनांक 28.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1592 के भाग (क), (ख) एवं (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

अनुलग्नक II

यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान से अस्वीकृत झींगा खेपों की कुल संख्या और अस्वीकृत कंटेनरों का अनुमानित मूल्य (वर्षवार) का विवरण।

वर्ष	अस्वीकृत झींगा खेपों की कुल संख्या (यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान)	सभी अस्वीकृत कंटेनरों की लागत (रु.)	एंटीबायोटिक अस्वीकृति	अनुमानित वित्तीय हानि (रु.)
2018	70	51,37,15,311	26	19,08,08544.00
2019	37	64,60,56,723	15	26,19,14,887.50
2020	72	74,75,20,531	20	20,76,44,592.00
2021	57	37,40,13,722	17	11,15,47,952.00
2022	41	32,03,52,030	22	17,18,96,211.00
2023	56	51,16,09,236	28	25,58,04,618.00
2024	46	42,90,15,187	22	20,51,81,176.00
2025	51	54,49,94,370	27	28,85,26,431.00
2026*	17	14,07,91,610	9	7,45,36,734.50

टिप्पण: निर्यातकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि एंटीबायोटिक अवशेषों के अतिरिक्त अन्य मानकों के कारण अस्वीकृत की गई खेपों को पुनः प्रसंस्करण तथा पुनः निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। एंटीबायोटिक अवशेषों के कारण खेपों की अस्वीकृति से हुई वर्ष-वार वित्तीय हानि का विवरण ऊपर दिया गया है।

* दिनांक 15/07/26 की स्थिति के अनुसार

(स्रोत: एम्पीडा)
